प्रेस विज्ञप्ति
3/05/2026

ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पीएमएलए, 2002 के तहत चलाया तलाशी अभियान; लगभग 5.39 करोड़ रुपये नकद और सोना किया जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में 30 अप्रैल, 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत एक साथ तलाशी अभियान चलाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग/भिलाई और बिलासपुर जिलों में कुल 13 परिसरों को कवर किया गया। तलाशे गए परिसर शराब व्यापारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों, व्यवसायियों और कॉरपोरेट संस्थाओं से संबंधित थे, जिन पर उक्त घोटाले से प्राप्त अपराध की आय को प्राप्त करने, संभालने, लेयरिंग करने या छुपाने का संदेह था।

तलाशी के दौरान, आपत्तिजनक नकदी और कीमती सामान जब्त किए गए। **53 लाख रुपये** नकद और लगभग **3.234 किलोग्राम** सोने के आभूषण (लगभग **4.86 करोड़ रुपये** मूल्य के) जब्त किए गए, जिससे कुल जब्ती लगभग **5.39 करोड़ रुपये** हो गई। इसके अलावा, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण/डेटा भी बरामद किए गए, जिनका वर्तमान में विश्लेषण किया जा रहा है।

ईडी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू)/भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी), रायपुर द्वारा दर्ज की गई प्रारंभिक एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत कर रही है। जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 2019-2022 की अवधि के दौरान शराब की खरीद, लाइसेंसिंग और बिक्री में अवैध कमीशन की उगाही के लिए राजनीतिक अधिकारियों, वरिष्ठ नौकरशाहों, शराब उत्पादकों, एफएल-10ए लाइसेंस धारकों और उनके सहयोगियों की मिलीभगत से एक सुनियोजित और संगठित आपराधिक साजिश रची गई थी। अब तक, ईओडब्ल्यू/एसीबी ने अपने आरोपपत्रों में इस घोटाले से प्राप्त कुल अपराध की आय को लगभग 2,883 करोड़ रुपये आंका है।

जांच के दौरान, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, सीएसएमसीएल के तत्कालीन एमडी, तत्कालीन आबकारी आयुक्त, तत्कालीन आबकारी मंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री के पुत्र और मुख्यमंत्री के तत्कालीन उप सचिव सहित अन्य लोग शामिल हैं। जांच कई पहलुओं पर आगे बढ़ी है, जिनमें शराब बनाने वाले, नकदी संभालने वाले, हवाला के बिचौलिए, एफएल-10ए लाइसेंस धारक और राजनीतिक सहयोगी शामिल हैं।

अब तक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के तहत छह अस्थायी कुर्की आदेश **(पीएओ)** जारी किए हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल लगभग **380 करोड़ रुपये** की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में आवासीय और व्यावसायिक अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस, वाहन, आभूषण और शेयर शामिल हैं और ये विभिन्न आरोपी व्यक्तियों और उनकी बेनामी संस्थाओं से संबंधित हैं। न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, पीएमएलए, नई दिल्ली ने कई मामलों में कुर्की की पुष्टि की है।

ईडी ने रायपुर स्थित पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत में **81 आरोपियों और संस्थाओं** के खिलाफ **छह अभियोजन शिकायत** भी दायर किए हैं। इन मामलों पर विशेष अदालत, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सक्रिय रूप से सुनवाई चल रही है।

वर्तमान तलाशी अभियानों से और अधिक दोषसिद्ध करने वाले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और पीएमएलए के तहत कुर्की, अभियोजन शिकायतों और अन्य कार्यवाहियों के संबंध में आगे की कार्रवाई, कानून के अनुसार की जाएगी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

*****